

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-186/2020

टिब्बी।

1. रामनिवास } पि० महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी
2. देवकीनन्दन } जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र पतराम जाति ब्राहमण निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. ललिता पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी पवन कुमार जाति ब्राहमण निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री अरविन्द नैण प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी सं० 1 रामनिवास को चक 14 एफटीपी के खाता सं० 98/91 की कुल 1.430 है० में से .506 है० तथा इसी चक के खाता सं० 99/92 की कुल .506 है० में से 1/2 हिस्सा .253 है० कृषि भूमि तथा वादी सं० 2 देवकीनन्दन को चक 14 एफटीपी के खाता सं० 98/91 की कुल 1.430 है० कृषि भूमि में से .924 है० कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 14 एफटीपी के खाता सं० 98/91 तथा चक 14 एफटीपी के खाता सं० 99/92 में से प्रतिवादी सं० 1 महावीर प्रसाद पुत्र पतराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.12.2020 को जारी किया गया।



Maangilal
(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी